637

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (सिविल) की कंडिका–3.3.2 (असमायोजित अग्रिम) के समायोजन के संबंध में वरीय लेखा परीक्षा पदाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन/पृच्छा के आलोक में कतिपय कार्य प्रमंडल से संबंधित मामले के अनुश्रवण हेतु दिनांक 25.11.2022 को आहूत बैठक अभियंता प्रमुख के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण नोडल पदाधिकारी, विधायी मामलें के अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यवाही निम्नवत है:–

कंडिका संख्या–3.3.2 असमायोजित अग्रिम के समायोजन के संबंध में विभिन्न कार्य प्रमंडलों से लंबित अग्रिम समायोजन से संबंधित प्राप्त साक्ष्य सहित प्रतिवेदन को समिति के निदेशानुसार सत्यता/परीक्षण की जाँच हेतु वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को प्रेषित की गयी थी। तदोपरांत वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, पटना ने अपने पत्रांक लो0ले0सं0/ग्रा0का0वि0/अनु0/22–23/87J/125 दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदनों का व्यक्तिवार सम्परीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा कुल असमायोजित अग्रिम की राशि 62.84 करोड़ के विरूद्ध 49.88 करोड़ की राशि को समायोजित पाया गया। शेष 12.96 करोड़ असमायोजित राशि को भिन्न–भिन्न कारणों एवं साक्ष्य के अभाव में समायोजन हेतु लंबित दर्शाते हुए उक्त असमायोजित राशि की पूर्ण विवरणी, परिशिष्ट– I-IV में अभ्युक्ति अंकित कर निराकरण हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसके आलोक में संबंधित कार्य प्रमंडलों से समायोजन संबंधी की गयी कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु दिनांक 25.11.2022 को मुख्यालय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखकार कार्यालय द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में संबंधित कार्य प्रमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संबंधित कार्य प्रमंडलों के संबंध लिये गये निर्णय निम्नवत है:–

1. कार्य प्रमंडल जमुई

कार्य प्रमंडल जमुई से संबंधित एक मात्र मामलें श्री सत्येन्द्र राय, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित अग्रिम 2709525.76/–रू0 में से 1860177.78/–रूपये का समायोजन संबंधी स्पष्ट साक्ष्य का अभाव के साथ पुनः राशि 23884.16 श्री केदार सिंह, A.E. के नाम पर लंबित दर्शाये जाने से संबंधित है। उक्त मामलें के संबंध में कार्य प्रमंडल जमुई के द्वारा 1860177.78/–रूपये के समायोजन संबंधी रोकड़बही की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है तथा राशि 23884.16 श्री केदार सिंह, A.E. के नाम पर लंबित है, के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया कि उक्त राशि का समायोजन संबंधी कार्रवाई कर वांछित प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर समर्पित कर दिया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जमुई से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि समायोजन संबंधी साक्ष्य सहित प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को भेजा जाय, साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जमुई को यह निदेश दिया गया कि अवशेष राशि के समायोजन से संबंधित कार्रवाई कर एतद् साक्ष्य संबंधी प्रतिवेदन अविलंब विभाग को समर्पित करे।

636

2. कार्य प्रमंडल, पटना

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना से दो मामला संबंधित है।

(i) श्री VMPD Singh , तत्कालीन सहायक अभियंता के उपर 16,18,859.72/–रू0 का समायोजन हेतु लंबित है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि उक्त स्व0 सहायक अभियंता के उत्तराधिकारी श्रीमती लीला देवी को विषयांकित मामलें के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया परन्तु उनके द्वारा पत्र प्राप्ति से इनकार किया गया। स्व0 विश्वमोहन सिंह के उत्तराधिकारी को पेंशन का भुगतान महालेखाकार, राँची, झारखंड होने के कारण इस मामलें के संबंध में वस्तुस्थिति से प्रधान महालेखाकार राँची को अवगत कराया गया जिसके उपरांत प्रधान महालेखाकार कार्यालय, द्वारा श्रीमती लीला देवी का पत्राचार का पता एवं अन्य कागजात उपलब्ध कराया गया है। उक्त कागजातों के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना द्वारा उक्त अवशेष असमायोजित 1618859.72 राशि के समायोजन के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की है।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना के द्वारा यह मामला पूर्व के बैठक में भी उठाया गया था। इस संबंध में विभागीय निगरानी प्रशाखा द्वारा स्व0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के मामलें में विधि विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना को पत्रांक 2/अ0प्र0–9–4/2015–381 (अ) दिनांक 11.02.2019 द्वारा निदेश दिया जा चुका है तत्समय उक्त निदेश के अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल पटना को दिया गया।

उक्त मामलें के विवेचनोपरांत कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना को इस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना को पत्रांक 2/अ0प्र0–9–4/2015–381 (अ) दिनांक 11.02.2019 द्वारा दिये गये निदेश का दृढता से अनुपालन कर वांछित प्रतिवेदन को अविलंब विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(ii) श्री K.M Prasad तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित 157034.83 राशि के समायोजन से संबंधित साक्ष्य पूर्व में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को भेजा जा चुका है पुनः कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना से प्राप्त प्रतिवेदन से वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को अवगत कराया जा सकता है।

3. कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी

कार्य प्रमंडल, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के अन्तर्गत कुल चार मामलें लंबित है। जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी द्वारा पूर्व के अनुरूप ही प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख है कि श्री ओम प्रकाश पासवान एवं श्री उमाशंकर राम, तदेन कनीय अभियंता के उपर लंबित राशि के समायोजन उनके वेतन से कटौती कर किया जा रहा है। दोनो कनीय अभियंता के संबंध में वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 से कटौती से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उन्हें अप्राप्त होने के कारण उक्त दोनो प्रमंडल से पत्राचार किया गया है। इसी क्रम में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के द्वारा यह बताया गया कि

श्री उमाशंकर राम, तदेन कनीय अभियंता कार्य प्रमंडल झंझारपुर से सेवानिवृत हो चुके है तथा श्री ओमप्रकाश पासवान का स्थानांतरण पथ प्रमंडल, कटिहार हो गया है। एक मामलें में श्री कांतेश प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता के संबंध में मृत्यु से संबंधित अस्पष्ट प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है। साथ ही श्री अमर सिंह के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया कि इस नाम का कोई भी अभियंता उनके कार्य प्रमंडल में कार्यरत नहीं रहा।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री उमाशंकर राम, सेवानिवृत कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल झंझारपुर एवं श्री ओम प्रकाश पासवान, कनीय अभियंता पथ प्रमंडल कटिहार के उपर लंबित अग्रिम के संबंध में विभाग स्तर से पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी को भी यह निदेश दिया गया है कि विभागीय पत्र के आलोक में अपने स्तर से भी उक्त दोनो मामलों के समायोजन के संबंध में कार्रवाई करेगे तथा श्री कांतेश प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता के मृत्यु संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायेगें एवं श्री अमर सिंह के संबंध में पुनः अपने कार्यालय में संधारित अभिलेख का छानबीन कर अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

4. कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज

कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज से संबंधित तीन मामलें क्रमशः श्री कुमार कान्त झा, कनीय अभियंता, श्री चंदेश्वरी पोद्दार, कनीय अभियंता एवं श्री विनोद लाल दास, लेखा लिपिक के संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणीगंज द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में **कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज को श्री कुमार कान्त झा, तदेन कनीय अभियंता के उपर लंबित राशि 143345.00/–का समायोजन संबंधी साक्ष्य विशेष दूत के माध्यम से संबंधित कार्यालय से प्राप्त करने का निदेश दिया गया साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज द्वारा वर्तमान समर्पित प्रतिवेदन से वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराये जाने का निर्णय भी लिया गया।**

5. कार्य प्रमंडल सासाराम–2

कार्य प्रमंडल सासाराम–2 के अन्तर्गत कुल चार मामला समायोजन हेतु लंबित है, जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सासाराम–2 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से एक मामले श्री विभिषण सिंह, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि 3376808/–रू0 के समायोजन हेतु उन्हे निदेश दिया गया है परन्तु उक्त राशि का समायोजन नहीं हो पाया है। **इस मामलें में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सासाराम–2 को पूर्व के बैठक में दिये गये निदेश के अनुरूप नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने का सख्त निदेश दिया गया तथा शेष तीन मामलों क्रमशः श्री कन्हाई प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, श्री रामश्रेष्ठ चौधरी, तदेन कनीय अभियंता एवं श्री भोला नाथ चौधरी, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि के समायोजन के संबंध में साक्ष्य सहित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिससे वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।**

634

6. कार्य प्रमंडल अरेराज

कार्य प्रमंडल अरेराज के अन्तर्गत कुल 13 मामलें लंबित है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरेराज द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमें उल्लेख है कि 13 मामलें में असमायोजित अग्रिम लंबित रहने के कारण सर्टिफिकेट केस दायर की गयी है परन्तु दायर किये गये सर्टिफिकेट केस के विरूद्ध जिला नीलाम पदाधिकारी, अरेराज द्वारा किये गये अद्यतन कार्रवाई से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि इस मामलें में वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा अद्यतन कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

अतः कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरेराज को सख्त निदेश दिया गया है कि दर्ज सर्टिफिकेट केस के विरूद्ध अद्यतन कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया करें, साथ ही श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता के उपर लंबित शेष अग्रिम के विरूद्ध की गयी समायोजन संबंधी कार्रवाई से संबंधित साक्ष्य अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. कार्य प्रमंडल वीरपुर

कार्य प्रमंडल वीरपुर के अन्तर्गत एकमात्र मामलें श्री सरयुग यादव, तदेन सहायक अभियंता के उपरं लंबित राशि 92149.10/–रू0 के समायोजन के विरूद्ध दर्ज किये गये नीलामवाद के संबंध में वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखकार कार्यालय द्वारा इस संबंध में नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी परन्तुं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल वीरपुर के द्वारा इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत नहीं कराया गया है।

अतः कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल वीरपुर को सख्त निदेश दिया गया कि श्री सरयुग यादव, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध दर्ज किये गये निलामवाद के संबंध में कृत कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वस्तुस्थिति से वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जा सके।

8. कार्य प्रमंडल सिवान–1

कार्य प्रमंडल सिवान–1 के अन्तर्गत कुल 3 मामलें वर्तमान में लंबित है। उक्त 3 मामलों के संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सीवान–1 के द्वारा पूर्व के प्रतिवेदनानुसार प्रतिवेदित किया गया है। जिसमें से श्री मिथिलेश कुमार सिंह एवं श्री रामनारायण दास, सेवानिवृत कनीय अभियंता का देहांत हो चुका है। इसके अतिरिक्त श्री रामनाथ सिंह के उपर लंबित राशि के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है एवं इसकी छायाप्रति संलग्न की गयी है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सिवान–1 से पूर्व में भी समदृश्य प्रतिवेदंन प्राप्त हुआ था जिसे समीक्षा हेतु वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को प्रेषित किया गया था। तद्आलोक में ही उनके द्वारा उक्त तीनों मामलों के संबंध में अद्यतन पृच्छा की गयी है। उक्त पृच्छा के संबंध कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सिवान–1 से प्राप्त पूर्व के समदृश्य प्रतिवेदन से सम्मन नहीं हो पा रहा है। इसलिए **कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सिवान–1 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को तत्काल अस्वीकृत करते हुए उन्हे यह निदेश दिया गया कि वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,**

महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त तीनों मामलें के संबंध में की गयी पृच्छा के अनुरूप कार्रवाई कर प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. कार्य प्रमंडल धमदाहा (पूर्णिया)

कार्य प्रमंडल धमदाहा (पूर्णिया) के अन्तर्गत असमायोजित अग्रिम से संबंधित तीन मामलें लंबित है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल धमदाहा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता के उपर शेष लंबित राशि 54492/–रू0 के समायोजन किया जा चुका है। समायोजन संबंधी साक्ष्य के रूप में रोकड़पंजी एवं बैंक विवरणी की छायाप्रति संलग्न है। श्री सुरेन्द्र शर्मा, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि 953304/–रू0 के समायोजन हेतु सर्टिफिकेट केस संख्या–402/17–18 नीलाम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष दायर किया गया है जिसके संबंध में यह बताया गया है कि अद्यतन जानकारी हेतु दिनांक 22.11.2022 को ली गयी है परन्तु इससे संबंधित कोई भी सूचना का उल्लेख उनके द्वारा कोई भी अद्यतन सूचना का उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया गया है तथा श्री देवानन्द झा, लंबित राशि 675272/– एवं बैठक में बताया गया कि वे उनके प्रमंडल से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त मामला के समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल धमदाहा के उक्त प्रतिवेदन से तत्काल वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराने का निर्णय लिया गया साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पूर्णिया को श्री सुरेन्द्र शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध दर्ज सर्टिफिकेट केस के संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन तथा श्री देवानंद झा, तदेन कनीय अभियंता के संबंध में पुनः कार्यालय में संधारित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने के साथ कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मझौल बखरी के द्वारा श्री झा, सेवानिवृत कनीय अभियंता का उपलब्ध कराये गये स्थायी पता एवं मोबाईल नं0 से संपर्क कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करते हुए एतद् संबंधी प्रतिवेदन से शीघ्र मुख्यालय को अवगत करायेगें।

10. कार्य प्रमंडल नवादा

कार्य प्रमंडल नवादा के अन्तर्गत कुल 2 मामलें क्रमशः श्री बी0एन0 सिंह एवं श्री ए0के0 सिंह, सहायक अभियंता के उपर असमायोजित्त राशि समायोजन हेतु वर्तमान में वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा पृच्छा की गयी है। उक्त पृच्छा के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल नवादा ने बैठक के दौरान प्रतिवेदित किया कि उक्त दोनो अभियंताओं के उपर लंबित राशि का समायोजन किया जा चुका है। साथ ही उनके द्वारा एतद् संबंधी साक्ष्य भी उनके द्वारा संलग्न किया गया है।

बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल नवादा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रतिवेदन को सत्यता/परीक्षण हेतु वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को भेजा जाय।

11. कार्य प्रमंडल हाजीपुर

कार्य प्रमंडल हाजीपुर के अन्तर्गत असमायोजित अग्रिम से संबंधित छः मामलें लंबित है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में उल्लेख

632

किया गया है कि श्री ए0सी0 राम, तदेन सहायक अभियंता की मृत्यु हो चुकी है। श्री ए0के0 ठाकुर के उपर लंबित राशि 91076/–, श्री बी0पी0 सिन्हा, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि 109940.24/– एवं श्री महेन्द्र पासवान, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि 142399.70/– का समायोजन किया जा चुका है। इसके साथ ही श्री बी0डी0 महतो, एवं श्री एस0के0श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि समायोजन हेतु लंबित है। बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वह अद्यतन नहीं है। पूर्व में उनके द्वारा श्री बी0डी0 महतो, तत्कालीन सहायक अभियंता एवं श्री एस0के0 श्रीवास्तव के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किये जाने की सूचना दी गयी थी। उनके द्वारा पूर्व में समर्पित समदृश्य प्रतिवेदन से वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को अवगत कराया गया था। तदोपरांत उनके द्वारा हाजीपुर के लंबित 6 मामलों में अद्यतन पृच्छा की गयी है। परन्तु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर द्वारा जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, वह प्रतिवेदन वर्तमान में वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी पृच्छा के अनुरूप नहीं है। **इसलिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुए उन्हें यह निदेश दिया गया है कि उक्त सभी मामलों में वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्तमान में की गयी पृच्छा के अनुरूप अद्यतन प्रतिवेदन से शीघ्र विभाग को अवगत कराया जाय ताकि विभाग स्तर से उक्त पृच्छा का प्रतिउत्तर वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को अवगत कराया जा सकें।**

12. कार्य प्रमंडल बक्सर

कार्य प्रमंडल बक्सर के अन्तर्गत असमायोजित अग्रिम से संबंधित एकमात्र मामलें श्री आर0एन0 दूबे के उपर लंबित राशि 477894.95/– के समायोजन से संबंधित है। उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बक्सर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री आर0एन0 दूबे, तदेन सहायक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत के पी0पी0ओ संख्या–371141/2002 के आधार पर वर्तमान एवं स्थायी पता उपलब्ध कराने हेतु कोषागार पदाधिकारी विश्वेश्वरैया भवन से अनुरोध किया गया है। कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री दूबे का पेंशन प्रपत्र वर्ष 2003 में सासाराम कोषागार को स्थानांतरित कर दिया गया। वरीय कोषागार पदाधिकारी, सासाराम से पत्राचार करने पर उनके द्वारा यह सुचित किया गया कि श्री दूबे का पेंशन का भुगतान उनके कोषागार से नहीं किया जा रहा है और न ही कोई कागजात है, डिर्स्बसींग बैंक का नाम एवं पता उपलब्ध कराया जा सके।

इस संबंध में समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बक्सर के प्रतिवेदन के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वस्तुस्थिति से वरीय लेखा परिक्षा अधिकारी, महालेखकार कार्यालय बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

13. कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर–1

कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर–1 के अन्तर्गत एक मात्र मामलें श्री मदन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि के समायोजन से संबंधित है। बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर–1 के द्वारा समायोजन संबंधी साक्ष्य सहित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। **उक्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया**

631

गया कि समायोजन संबंधी उक्त प्रतिवेदन को सत्यता एवं परीक्षण हेतु वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को भेजा जाय।

14. कार्य प्रमंडल दरभंगा–1

कार्य प्रमंडल दरभंगा–1 के अन्तर्गत एक मात्र मामलें श्री पी0एन0 झा, तत्कालीन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि के समायोजन से संबंधित है। बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल दरभंगा–1 के द्वारा समायोजन संबंधी साक्ष्य सहित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। **उक्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि समायोजन संबंधी उक्त प्रतिवेदन को सत्यता एवं परीक्षण हेतु वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को भेजा जाय।**

15. कार्य प्रमंडल खगड़िया

कार्य प्रमंडल खगड़िया के अन्तर्गत कुल तीन मामलें लंबित है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खगड़िया द्वारा बैठक के पूर्व ही तीनो मामलों के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री आलोक कुमार, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित 270000/–राशि के समायोजन संबंधी चेक की छायाप्रति समर्पित किया गया है, शेष दो मामलें क्रमशः श्री के0एन0 ठाकुर के विरूद्ध दर्ज दर्ज खगड़िया थाना कांड संख्या–335/12 एवं ए0डी0 क्वालिटी कन्ट्रोल के संबंध में दर्ज खगड़िया थाना कांड संख्या–800/2001 दर्ज होने के संबंध में सूचित किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खगड़िया के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत तत्काल यह निर्णय लिया गया कि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खगड़िया से प्राप्त प्रतिवेदन से वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को भेजा जाय।

16. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियॉ

कार्य प्रमंडल क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियॉ के अन्तर्गत असमायोजित अग्रिम से संबंधित दो मामलें लंबित है। जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला पूर्णिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री आलोक कुमार, तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित राशि 81185/–एवं श्री नकीब आलम के उपर लंबित राशि 26457/–का समायोजन हो चुका है। इससे संबंधित उनके द्वारा समर्पित किया गया है।

उक्त के संदर्भ में क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णिया से समायोजन संबंधी प्राप्त उक्त प्रतिवेदन को महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को भेजे जाने की निर्णय लिया गया।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में कार्य प्रमंडल, छपरा–2, समस्तीपुर एवं सासाराम–1 का कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त कार्य प्रमंडलों से प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। इस संदर्भ में बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनो कार्यपालक अभियंता अपने–अपने कार्य प्रमंडल से संबंधित मामलों में वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में कार्रवाई कर शीघ्र प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगें।

25.11.22

25.11.22 **(रामाधार चौधरी)** **प्रशाखा पदाधिकारी,** **प्रशाखा–10,** **ग्रामीण कार्य विभाग**	25/11/2022 **(सुधीर कुमार)** **अधीक्षण अभियंता–सह–** **नोडल पदाधिकारी,** **विधायी मामलें,** **ग्रामीण कार्य विभाग**	**(अशोक कुमार मिश्रा)** **अभियंता प्रमुख,**

630

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–01–01/2018 6880 पटना, दिनांक 01/12/2

प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–01–01/2018 6880 पटना, दिनांक 01/12/2

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जमुई/पटना/बेनीपट्टी/त्रिवेणीगंज/ सासाराम–2/अरेराज/वीरपुर/सिवान–1/ धमदाहा/नवादा/हाजीपुर/बक्सर/मुजफ्फरपुर–1/दरभंगा–1/खगड़िया/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णिया/छपरा–2, समस्तीपुर एवं सासाराम–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आप सभी को निदेश दिया जाता है कि बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में अपने–अपने कार्य प्रमंडलों से संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई कर एतद् संबंधी वांछित प्रतिवेदन से शीघ्र विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

अभियंता प्रमुख